<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3064–तीन/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 11–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1314/अपील/12–13.

1 राम कुशल कोटवार तनय रामलाल कोटवार
उम्र 40 वर्ष निवासी बाणसागर पी0टी0एस0 रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

2 सुदामा कोटवार तनय भगवतिया प्रसाद कोटवार
उम्र 42 वर्ष निवासी वाणसागर पी0टी0एस0 रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

..........आवेदकगण

विरूद्ध

1 शासन मध्य प्रदेश

2 लक्ष्मी श्रीवास्तव, पत्नी अवधेश प्रसाद श्रीवास्तव
उम्र 47 वर्ष पेशा नौकरी निवासी पाण्डेयर टोला
तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

......अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक–2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10.3.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 3064–तीन/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के

प्रकरण कमांक 1314/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 11–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । अनावेदक कमांक 2 लक्ष्मी श्रीवास्तव द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष धारा 250 एवं सहपठित धारा 248 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 4–4–13 को दिया कि आवेदित प्लाट नंबर 679/1 रकबा 0.185 हैक्टयर स्थित ग्राम पीटीएस चौराहा रीवा पर अनावेदिका कमांक 2 एवं उसकी चार बहनों के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है । शेष खाली भूमि जो आवेदिका के रास्ते एवं निस्तार के रूप में उपयोग की जाती है पर आवेदकगण द्वारा कब्जा कर लिया गया है । यदि आवेदकगण का अवैध अतिकमण नहीं हटाया जाता तो उसके विकल्प में कोई अन्य रास्ता अनावेदक कमांक 2 के पास नहीं है । तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया एवं दिनांक 12–4–13 को शासकीय खसरा कमांक 680 रकबा 0.097 हैक्टेयर के जुज भाग 1800 वर्ग फीट के संबंध में अवैध अतिकमण पाया एवं उसे हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–68/12–13 में पारित आदेश दिनांक 2–9–13 द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–4–13 को स्थिर रखा गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 1314/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 11–9–13 द्वारा अग्राह्य किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगणों ने कब्जा नहीं हटाया इस कारण तहसीलदार ने दिनांक 25–9–13 को संहिता की धारा 248 (2ए) के अधीन (सिविल जेल) की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 17–2–14 द्वारा सिविल जेल वारंट भेजने के आदेश दिये गए। आवेदकगण माननीय उच्च न्यायालय में रिट अपील नंबर 756/14 दायर की गई एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25–9–14 द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित होने तक कार्यवाही रोकने के आदेश दिये । इसी

प्रकार रिट पिटीशन कमांक 9264/14 लक्ष्मी श्रीवास्तव वि0 म0 प्र0 शासन एवं अन्य में आदेश दिनांक 10–7–14 द्वारा आवेदकगण का अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये गये ।

4) मैने उभयपक्ष अधिवक्ताओं को तर्क हेतु अवसर दिए । उन्होंने अभिलेख के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया ।

5) प्रकरण में परीक्षण एवं विचार उपरांत मैं स्वयम को अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश में लिए गए निर्णय से सहमत पाता हूँ क्योंकि उन्होंने उनके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों से समवर्ती निष्कर्ष देते हुए आवेदक को शासकीय भूमि पर अतिक्रामक पाया है, और इसी आधार पर आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील अग्राह्य की है ।

मैं अपर आयुक्त के इस आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ । अतः यह निगरानी अस्वीकार कर खारिज करता हूँ ।

इसी के साथ यह प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है ।

आदेश पारित ।
पक्षकार सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

10.3.16
(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर